यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :—01 / 2024 दायर दिनांक: 15.3.2024

S NO:- 2024/43 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

गैरूलाल आ0 भगवत्या जाति बैरवॉ नि0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।

— प्रार्थी

बनाम

अजना पुत्री कजोड पत्नी रामावतार जाति बैरवॉ नि0 बैरवॉ बस्ती कैथुदा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 6)

—प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति—

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सिन्धव।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बालापुरा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे व हिस्से की खाता संख्या 152 की खसरा नम्बर 101, 129, 23, 557, 561, 6 कुल किता 6 कुल रकबा 6.7391 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 निहित है। इस प्रकार ग्राम बालापुरा मे खाता संख्या 153 के खसरा नम्बर 22, 560 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4611 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 निहित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित खाते की एवं हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 557 पर जाने के लिए 12 फूट चौडा रास्ता ग्राम बालापुरा से बटावती जाने वाले आम रास्ता से ग्रेवल रोड से दक्षिण पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 573 व 560 की मध्य की मेर पर होकर आगे खसरा नम्बर 561 से होकर खसरा नम्बर 557 मे पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी वर्षो से इसी रास्ते मे होकर अपनी खातेदारी हिस्से की भूमि पर आते जाते है व कृषि उपकरणों को लेकर आते जाते है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने वाले आम रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने कांटों की बाड लगाकर कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण ने जब रास्ता खुलासा करने के लिए कहा तो मारपीट करने मे अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 मारपीट पर आमादा होते है और गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 12 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 557 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ